



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222177  
CG-DL-E-01102020-222177

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3067]  
No. 3067]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3446(अ).—समय – समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015 -20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत उरद [बीन्स ऑफ द एसपीपी विगना मुंगो (एल.) हेपर ] एचएस कोड 0713 31 10, 0713 90 10 और 0713 90 90 के तहत वर्ष 2020 – 21 के आयात के लिए 1.5 लाख मीट्रिक टन का कोटा, 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए, अधिसूचित किया है। 1.5 लाख टन के कोटा का आवंटन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के अनुसार होगा :-

बशर्ते कि यह प्रतिबंध किसी भी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करार या समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात सम्बंधी प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा।

2. अधिसूचना का प्रभाव : 31 मार्च, 2021 तक आयात किए जाने वाले उड़द के 1.5 लाख टन के कोटा को अधिसूचित कर दिया गया है।

[फा.सं.14/3/2018-ईपी(एग्री-II)(पा.II)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी 2017 के का.आ. संख्या 172 (अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 22 मई, 2020 भारत के राजपत्र असाधारण के का.आ. संख्या 1605 (अ) के तहत किया गया था।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2020

**S.O. 3446 (E).**—In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies quota of 1.5 Lakh MT for import of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Code 0713 31 10, 0713 90 10 and 0713 90 90 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), for the period up to 31st March, 2021, for the year 2020-21. Allocation of Quota of 1.5 Lakh MT will be as per procedure to be notified separately by Directorate General of Foreign Trade:-

Provided that this restriction shall not apply to Government's commitments under any Bilateral or Regional Agreement or Memorandum of Understanding.

2. **Effect of the Notification:** Quota of 1.5 Lakh MT of Urad, to be imported till 31st March, 2021, has been notified.

[F. No. 14/3/2018-EP(Agri-II)(Pt.II)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended vide notification published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 1605 (E), dated the 22nd May, 2020.